विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-29 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
29 (क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि जनपद-हरदोई में मिलावटी रसायनिक खाद की बिक्री किये जाने पर कार्यवाही की गयी है?	29 (क) जी हॉ। जनपद हरदोई में कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से नियमित एवं आकस्मिक रूप से निरीक्षण एवं छापे की कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर से भी माह अक्टूबर एवं नवम्बर, 2024 में नामित टास्क फोर्स अधिकारी द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। जनपद में 01 अप्रैल, 2024 से 30 नवम्बर, 2024 के मध्य में कुल 606 उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 147 उर्वरक नमूने ग्रहित किए गए, जिसमें से 10 नमूनें अमानक पाए गए। आकस्मिक निरीक्षण के समय अनियमितता पाए जाने पर 04 उर्वरक प्रतिष्ठानों के उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र भी निलम्बित किए गए; इसके अतिरिक्त 02 उर्वरक प्रतिष्ठानों के विरूद्ध आई०पी०सी० (बी०एन०एस०) 2023 की धारा-349, आई०पी०सी० (बी०एन०एस०) 2023 की धारा-336(4), आई०पी०सी० (बी०एन०एस०) 2023 की धारा-340(2), कापीराइट अधिनियम (संशोधित) 1957 की धारा-51, कापीराइट अधिनियम (संशोधित) 1957 की धारा-63, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा- 3/7 के अन्तर्गत अभियोजन पंजीकृत कराया गया है।
(ख) यदि नहीं, तो क्यों?	(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूर्य प्रताप शाही
कृषि मंत्री।